



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉमर्स कॉलेज के सामने, जयपुर-302 004
दूरभाष : 0141-2702784, 2706577-78 फ़ैक्स : 2706575, 2706577
E-Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



क्रमांक : एफ 4(107)केयरटेकर/आईजीपीआरएस/2013/ 2363-64

दिनांक : 16/8/21

मैसर्स श्रीमती केसर देवी विश्नाया सेवा एवं विकास समिति
बालाघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली
राजस्थान

विषय :- आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थान द्वारा जारी निविदा संख्या 1886-1888 दिनांक 28-07-2021 "साफ़ सफाई एवं हाउस कीपिंग कार्य" के लिए आपके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी है। उक्त निविदा में आपके द्वारा प्रस्तुत टर्न ऑवर (गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 50 लाख का टर्न ऑवर) से सम्बंधित दस्तावेज एवं सफाई एवं हाउसकीपिंग कार्य में काम में लिए जाने वाले उपकरणों की सूची का अभाव पाया गया है ।

अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम संख्या 61 के तहत आप उक्त अपूर्ण पाये गये दस्तावेज दिनांक 18-08-2021 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक उपलब्ध करवाये । निर्धारित समय तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जाने की दशा में आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।


(राजेंद्र सिंह)

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रोग्रामर को सम्बंधित साईट पर अपलोड करने हेतु


सहायक निदेशक (प्रशा.)



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉमर्स कॉलेज के सामने, जयपुर-302 004

दूरभाष : 0141-2702784, 2706577-78 फ़ैक्स : 2706575, 2706576

E-Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



क्रमांक : एफ 4(107)केयरटेकर/आईजीपीआरएस/2013/ 2365-66

दिनांक : 16/8/21

मैसर्स सनशाईन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस

19 A गायत्री नगर II टोंक रोड, सांगानेर

जयपुर

विषय :- आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थान द्वारा जारी निविदा संख्या 1886-1888 दिनांक 28-07-2021 "साफ़ सफाई एवं हाउस कीपिंग कार्य" के लिए आपके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी है। उक्त निविदा में आपके द्वारा सफाई एवं हाउसकीपिंग कार्य में काम में लिए जाने वाले उपकरणों की सूची का अभाव पाया गया है ।

अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम संख्या 61 के तहत आप उक्त अपूर्ण पाये गये दस्तावेज दिनांक 18-08-2021 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक उपलब्ध करवाये । निर्धारित समय तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जाने की दशा में आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

(राजेंद्र सिंह)

अतिरिक्त निर्देशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रोग्रामर को सम्बंधित साईट पर अपलोड करने हेतु

सहायक निर्देशक (प्रशा.)